संख्या-03 /2020/ 82 /कनिप्र/26-3-2020-6(34)/2006

प्रेषक,

डा. रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ
समाज कल्याण विभाग

लखनऊ: दिनांक : 24 जनवरी,2020

विषय: उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वत: रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्रांक-2362/लेखा अनुभाग/2019-20 दिनांक 14 जनवरी, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 में स्वत: रोजगार योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु रू0 3000.70 (रू. तीस करोड़ सत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर निर्धारित लक्ष्यानुसार जनपदों को आवंटित की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय/उपभोग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि पी.एल.ए./ डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी. के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जनपदों को आवंटित समस्त धनराशि की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा इसके लिए संबंधित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

5- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वत: रोजगार योजनाओं में अनुदान (100 प्रतिशत भारत सरकार)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) " के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा. रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-03/2020/ 82 (1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज।

2-प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी कैसरबाग,लखनऊ

4- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

5- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा. रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।